न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./14/2024/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. रावताराम पुत्र मोटाराम 2. हपियों देवी पत्नी रावताराम जाति जाट निवासी जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर	1. अणछी पुत्री हरचन्दराम पत्नी नारणाराम जाति जाट निवासी मुकनाणियों की बेरा, परेऊ तहसील गिड़ा हाल निवासी कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर 2. चतरू पुत्री हरचंदराम पत्नी मोटाराम 3. अणदू पुत्री हरचंदराम पत्नी उगराराम् 4. उगराराम पुत्र आदूराम 5. कुनणीदेवी पत्नी अणदाराम जाति जाट निवासी परेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर 6. तहसीलदार गिड़ा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 205/2020 बअनवान अणछी बनाम चतरू वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2023 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1. वकील श्री रिणछाराम सियाग अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—22.01.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पूर्व पुरूष स्व. प्रभूराम के खातेदारी एवं स्वामित्व का खेत खसरा संख्या 650 रकबा 1.00 बीघा, खसरा संख्या 651 रकबा 07 बिस्वा, 652 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 653 रकबा 144.14 बीघा, खसरा संख्या 654 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 655 रकबा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 656 रकबा 07 बिस्वा कुल रकबा 148 बीघा, खसरा संख्या 657 रकबा 34.05 बीघा, खसरा संख्या 905/657 रकबा 03 बीघा मौजा मुकनाणियेंक का बेरा पटवार क्षेत्र परेऊ तहसील गिड़ा व खसरा संख्या 999/597 रकबा 09.03 बीघा मौजा महादेव मंदिर पटवार क्षेत्र लापून्दड़ा तहसील गिड़ा व खसरा संख्या 23 रकबा 10 बिस्वा मौजा सुथारों की ढाणी, पटवार क्षेत्र लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर में स्थित है जो मात्र वादीनी के दादा प्रभूराम के एकल खातेदारी की थी तथा प्रभूराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीनी के दादा प्रभूराम के फौत होने पर उनके पुत्रों वादीनी के पिता हरचंदराम व प्रतिवादी संख्या 3 के पिता आदूराम का नाम प्रभूराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ तथा वादीनी के पिता हरचन्दराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का था। इस प्रकार समस्त भूमि वादीनी के पिता हरचंदराम को पैतृक सम्पति के रूप में अपने पिता प्रभूराम से प्राप्त हुई थी। वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा में वादीनी के पिता हरचंदराम के साथ वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिकार अपने पिता के बराबर उनके जन्म के साथ ही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार पैदा हो चुके है जिससे वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से में 1/4—1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण रकबे में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1/8–1/8 हिस्सा पैतृक खातेदारी का था तथा इसी अनुसार वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उनके पिता हरचंदराम के मध्य भूमि का बाहामी बंटवाड़ा किया हुआ है तथा वादीनी अपने हिस्से की भूमि पर रहवासी ढाणिया बनाकर अपने परिवार सहित अलग निवास कर रही है। वादग्रस्त भूमि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सहदायिकी सम्पति है तथा प्रत्येक का बराबर–बराबर हक हिस्सा है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम अंकित नहीं है तथा समस्त 1/2 हिस्सा भूमि वादीनी के पिता हरचन्दराम अकेले के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसका वादीनी के पिता हरचंदराम ने नाजायज फ़ायदा उठाते हुए बेशकीमती भूमि अपने विधिक हक हिस्से से अधिक हिस्सा का बेचान प्रतिवादी संख्या 05 को कर दिया गया जिस संबंध में वादीनी से कोई सहमति नहीं ली गई तथा न ही वादीनी को कोई जानकारी दी गई। इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाटस के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं करवाई गई। अपीलांटस मौजा जाखड़ा तहसील गिड़ा में रहवास करते है जबकि अपीलांटगण के नाम से सम्मन जाखड़ा के पते पर प्रेषित नहीं कर गलत पते परेऊ, गिड़ा के भेजे गये है जो सम्मन अपीलांट को प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है क्योंकि सम्मन गलत पते पर भेजे गये थे जिस कारण अपीलांटस

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को हस्तगत वाद के कोई सम्मन आज दिन तक प्राप्त नहीं हुये है। उतरदाता संख्या 01 द्वारा पेश वाद पत्र के साथ संलग्न शपथ–पत्र को तस्दीक नहीं किया गया है तथा न ही टिकट चस्पा की गई है तथा वाद पत्र व शपथ–पत्र में दिनांक तक अंकित नहीं है, जिस कारण उक्त शपथ–पत्र व वाद पत्र अपूरण होने से पठनीय ही नहीं है तथा उसके वाद वादीनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ–पत्र भी किसी भी अधिवक्ता द्वारा वादीनी की पहचान नहीं की गई है तथा न ही शपथ–पत्र को किसी शपथ–आयुक्त द्वारा तस्दीक किया गया है तथा न ही शपथ–पत्र पर किसी अधिवक्ता के हस्ताक्षर है तथा न ही शपथ–पत्र पर दिनांक अंकित है तथा वादीनी गवाह के साक्ष्य शपथ–पत्र को भी तस्दीक नहीं किया गया है तथा न ही दिनांक अंकित की गई है जिस कारण उक्त दोनों पत्र साक्ष्य में ग्राहय ही नहीं है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदियों को भी प्रदर्शित नहीं करवाय गया है तथा न ही जमाबंदियों प्रदर्श पत्रावली में लगे हुये है इस प्रकार वादीनी द्वारा पेश वाद, साक्ष्य शपथ–पत्र व बिना दस्तावेज प्रदर्शित करवाये ही प्रकरण का अंतिम निस्तारण कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने शक्तियों को घोर दुरूपयोग किया गया है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादीनी के नाम से दर्ज न होकर रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिये अपीलांटगण के हक व खातेदारी में दर्ज है जो अपीलांटगण एक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से जरिये प्राप्त की गई है जो वादीनी स्वयं ने अपने वाद में रजिस्टर्ड दस्तावेज को चुनौति दी गई एक रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है, ऐसी स्थिति में वादीनी का वाद अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का भी नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया वर्तमान अरसा 10–15 दिन पूर्व उतरदातागण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त की भूमि में काबिज होने का प्रयास करने लगे जिस पर वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हमने कोर्ट से फैसला करवा लिया है तथा आपके कब्जे वाली भूमि हमारे हिस्से में आई हुई है इसलिये आपको बेदखल कर देगें जिस पर अपीलांटगण को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 05.07.2024 को प्राप्त की गई तब अपीलांटगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी सद्भाविक रूप से हुऐ विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांटस के शपथ–पत्र पर विश्वास कर परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आराजी स्वर्जित है या पैतृक इस तथ्य का निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबाव दावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में तनकीयात भी कायम नहीं की गई तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय भी तनकीवार पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 205/2020 बअनवान अणछी बनाम चतरू वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2023 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को जवाबदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने तथा सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर